न्यायालय उप जिला मजिस्ट्रेट पदेन सहायक कलक्टर शाहपुरा जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री मनमोहन मीना, आर ए एस

वाद पत्र संख्या :– 01/2018 पुनः दर्ज 140/2019

उनवान

1. जितेन्द्र सिंह पुत्र स्व. नाथूसिंह जाति राजपूत निवासी करीरी तह0 शाहपुरा जिला जयपुर।
2. कुन्दन कंवर पत्नि स्व. नाथूसिंह जाति राजपूत निवासी करीरी तह0 शाहपुरा जिला जयपुर।

वादीगण

बनाम

1. सावंतसिंह पुत्र सोहनसिंह
2. मनोहरसिंह पुत्र मांगूसिंह
3. रणवीरसिंह पुत्र गोविन्दसिंह
4. सुप्यार कंवर बेवा महावीरसिंह
5. महिपाल सिंह पुत्र महावीरसिंह
6. सांवतसिंह पुत्र छत्तुसिंह
7. वीर विक्रमादित्य सिंह पुत्र छत्तुसिंह

समस्त जाति राजपूत निवासी ग्राम करीरी तहसील शाहपुरा जिला जयपुर

8. राजस्थान सरकार जरिये जिला कलक्टर जयपुर, जिला जयपुर।
9. तहसीलदार शाहपुरा तहसील शाहपुरा जिला जयपुर।
10. उप पंजीयक/नायब तहसीलदार उपतहसील अमरसर तह. शाहपुरा जिला जयपुर

प्रतिवादीगण

11. कृष्णा कंवर पुत्री स्व. नाथूसिंह पत्नि शम्भूसिंह, जाति राजपूत नि. कालवा बड़ाबास, मकराना, नागौर
12. रिंकी उर्फ सजना पुत्री स्व.नाथूसिंह पत्नि हिम्मतसिंह जाति राजपूत नि कालवा बड़ाबास,मकराना, नागौर
13. मंजू कंवर पुत्री स्व. नाथूसिंह पत्नि राजेन्द्रसिंह, जाति राजपूत नि. कालवा बड़ाबास, मकराना, नागौर

तरतीबीप्रतिवादीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 सीपीसी

उपस्थिति

1. श्री रामगोपाल गुप्ता वकील प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण की ओर से
2. श्री दीपक शर्मा वकील अप्रार्थी/वादीगण की ओर से

आदेश दिनांक 11.8.2021

प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि वादी के द्वारा वाद पत्र पेश किया गया कि आ.ख.न. 1032 रकबा 4 बीघा 13 बिस्वा, ख.न. 1037 रकबा 1 बीघा 6 बिस्वा, ख.न. 1036 रकबा 1 बीघा 17 बिस्वा, ख.न. 1853 रकबा 3 बीघा 3 बिस्वा, ख.न. 1854 रकबा 2 बीघा 8, ख.न. 1034 रकबा 5 बीघा 3 बिस्वा कुल 6 रकबा 8 बीघा 1.75 बिस्वा वाके ग्राम करीरी तह. शाहपुरा जिला जयपुर में स्थित है जिसके हाल ख.नं. 1388/0.52, 1394/0.82, 1390/1.25 बने हुए है। जो भूमि वादी सं. 1 के पिता नाथूसिंह के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज रही है और नाथूसिंह को उक्त भूमि पूर्वजों से पैतृक भुमि के रूप में प्राप्त हुई है। इस प्रकार उक्त भूमि पूर्वजों की हिन्दू शामलाती परिवार की पैतृक भूमि रही है, वादी जो कि काश्तकार पेशा व्यक्ति है जो कि काश्त कर अपना व परिवार को भरण पोषण करता है। इस प्रकरण में मुख्य रूप से खसरा नं. 1390 विवादित है।

उक्त आराजी में 7 बीघा भूमि सन् 1971 जरिए रजिस्टर्ड विक्रय पत्र नाथू सिंह द्वारा विपक्षी सं. 1 लगा. 3 व महावीर सिंह को बेचान कर दी थी जिस बेचान में ख.नं. 1034 रकबा 5 बीघा 3 बिस्वा की आधी भूमि को ही बेचान किया गया था एवं 1037 व 1854 की भूमि के हिस्से का बेचान किया गया था जो रजिस्ट्री दिनांकित 28.08.1971 के अनुसार है। इस बेचान के संबंध में क्रेतागण के नाम नामान्तरण फरवरी 1972 मे खोला गया जिस नामान्तरण में स्पष्ट रूप से ख.नं. 1034 रकबा 5 बीघा 3 बिस्वा के संबंध में आधी भूमि दो बीघा साढे ग्यारह बिस्वा विक्रेता नाथूसिंह व आधी भूमि क्रेतागा के नाम हो गई जिस संबंध में राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज किया गया और पक्षकारों में इस ख.नं. के हिस्से के संबंध में विवाद नही रहा और पक्षकार अपने–अपने हिस्से पर काबिज काश्त रहे है। स्व. नाथूसिंह बेचान के अलावा शेष भूमि पर काबिज रहा।

सहायक कलक्टर
शाहपुरा (जिला–जयपुर) राज.

Scanned with CamScanner

प्रार्थना पत्र प्रतिवादी सं. 1 लगा. 3 अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सहपठित 151 सीपीसी इस प्रकार है यह है कि वादीगण व तरतीबी प्रतिवादीगण सं. 11 लगा. 13 द्वारा प्रस्तुतवाद साबिक ख.नं. 1032, 1037, 1036, 1853, 1034 व 1854 से बने हाल ख.नं. 1388, 1394, 1390 के इन्द्राज दुरुस्ती के संबंध में प्रस्तुत किया है व वादी व तरतीबी प्रतिवादीगण के पिता व पति नाथूसिंह द्वारा साबिक खसरा नम्बरान् में से दिनांक 25.08.1971 को 8 बीघा पौने दो बिस्वा भूमि जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र प्रतिवादी सं. 1 लगा. 3 को विक्रय कर आराजी कब्जा करवा दिया था लेकिन फिर नाथूसिंह ने उपपंजीयक बैराठ के समक्ष विक्रय पत्र में संशोधन करवाकर खातेदारी भूमि विक्रय का रकबा 7 बीघा करवा दिया इस कारण वादीगण व तरतीबी प्रतिवादीगण के पिता व पति के नाम विक्रय पत्र मे सशोधन हुए रकबे में परिवर्तन के कारण हाल खसरा नं. 1390/1.25 है0 में नाथूसिंह के नाम 1/5 हिस्सा दर्ज रह गया। नाथूसिंह ने अपने नाम रहे रकबे को प्रतिवादी सं. 1 लगा. 3 के पक्ष में दिनांक 10.05.2007 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र बेचान कर दिया व फिर नाथूसिंह ने चालाकी से प्रतिवादी सं. 6 व 7 से साजकर प्रतिवादी सं. 1 लगा. 3 को नुकसान पहुंचाने की गरज से दिनांक 1.10.2005 को फर्जी विक्रय इकरारनामा आराजी खसरा नं. 1390/1.25 है0 के 1/5 हिस्से के संबंध में कर दिया व प्रतिवादी सं. 6 व 7 द्वारा नाथूसिंह के विरुद्ध दिनांक 09.07.2007 को संविधा के विशिष्ट अनुपालन अनुबन्ध व प्रतिवादी सं. 1 लगा. 3 के विरुद्ध विक्रय पत्र निरस्त किये जाने के संबंध में प्रस्तुत किया जो न्यायालय द्वारा बाद सुनवाई व साक्ष्य लिजाकर उभय पक्षों की बहस सुनी जाकर प्रतिवादी सं. 6 व 7 द्वारा प्रस्तुत वाद दिनांक 23.11.2017 को खारिज फरमा दिया गया। उक्त निर्णय अपर जिला सत्र न्यायाधीश, शाहपुरा द्वारा प्रतिवादी सं. 1 लगा. 3 के पक्ष में तस्दीक कराये गये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र को विधि सम्मत पाया तथा प्रतिवादी सं. 6 व 7 के पक्ष में हुए विक्रय इकरारनामा दिनांक 1.10.2005 को अनुपालना कराया जाना उचित नही माना व विक्रय करार को दिखावटी व प्रतिवादी सं. 1 लगा. 3 पर दबाव डालने की मन्शा से कराया जाना पाया व इस कारण हाल आ.ख.नं. 1390 के संबंध में मृतक नाथूसिंह के पक्ष में किये खातेदारी इन्द्राज के संबंध में नाथूसिंह द्वारा अपने नाम पर हिस्से 1/5 का विक्रय प्रतिवादी सं. 1 लगा. 3 के पक्ष में हुए रजिस्टर्ड विक्रय पत्रों के संबंध में सक्षम सिविल न्यायालय द्वारा अन्तिम रूप से न्याय निर्णय हो जाने के कारण अब प्रस्तुत वाद की कार्यवाही कानून चलने योग्य नहीं होने से अस्वीकार कर इसी स्टेज पर खारिज किये जाने की प्रार्थना जवाब प्रार्थना पत्र मे वादीगण व तरतीबी प्रतिवादीगण द्वारा यह स्वीकार किया गया कि पक्षकारान् के मध्य हॉल खसरा नं. 1390/1.25 है0 के संबंध में ही प्रस्तुत किया गया है व दिनांक 25.08.1971 को हुए विक्रय पत्रों के अन्तर्गत 7 बीघा भूमि का ही बेचान किया गया था व कहा गया कि पटवारी हल्का द्वारा नामान्तकरण तस्दीक किये जो समय नाथूसिंह के नाम 1/5 हिस्सा गलत दर्ज कर दिया गया व उस गलत अंकन के आधार पर नाथूसिंह ने दिनांक 10.05.2007 को अपने नाम दर्ज हिस्से 1/5 को प्रतिवादी सं. 1 लगा. 3 में गलत रूप से विक्रय पत्र तस्दीक करवा लिये जबकि वादीगण ख.नं. 1390/1.25 है0 मे से 1/2 हिस्से के दुरस्तीकरण के अधिकारी है व माननीय अपर जिला सत्र न्यायाधीश शाहपुरा के समक्ष विचाराधीन प्रकरण के कोई संबंध व सरोकार होना नहीं बताया व न्यायालय द्वारा प्रसगगत प्रकरण की सुनवाई का क्षेत्राधिकार होने व प्रतिवादीगण द्वारा मूल प्रकरण में जबावदेही प्रस्तुत नही करने के कारण व प्रस्तुतवाद आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के प्रावधान की पूर्ति नही करने के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रतिवादी/प्रार्थी हर्जा खर्चा सहित खारिज करने की प्रार्थना की गई। प्रार्थना पत्र पर उभयपक्षों की बहस सुनी गई वकील प्रार्थी प्रतिवादी सं. 1 लगा. 3 द्वारा दोहराने व प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराया गया व दस्तावेज मिलान क्षेत्रफल व प्रसंगगत खसरा नं. 1390 व अन्य खसरा नम्बरान् के संबंध में न्यायालय उपखण्ड अधिकारी शाहपुरा के समक्ष निर्णित प्रकरण सांवतसिंह वगैरहा सुप्यार कंवर बाबत अधिकार घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा दिनांक 16.09.2004 मुकदमा नं. 139/2004 की प्रति व वादीगण के बुजुर्ग नाथूसिंह स्वयं का शपथपत्र की फोटो प्रति इसमें ख.नं. 1390 में नाथूसिंह ने 1/5 हिस्सा अपने नाम सही दर्ज होना स्वीकार किया है व न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश शाहपुरा जिला जयपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 23.11.2017 मु.नं. 22/2007 उनवानी सांवतसिंह बनाम नाथूसिंह वगैहरा प्रस्तुत यिका व वाद विधि द्वारा वर्जित होने के आधार पर व उसी विषय वस्तु के आधार पर जो पूर्व में सक्षम न्यायालय द्वारा विधि सम्मत रूप से सुनवाई की जाकर निर्णित किया जा चुका है इसी स्तर पर खारिज किये जाने का निवेदन किया।

उन्होने अपने तर्को के समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टान्त प्रस्तुत किये–

1. D.N.J. 2017 (1) 11 राजस्थान
2. D.N.J. 2015 (3) 965 राजस्थान
3. D.N.J. 2003 (1) 107 सुप्रीम कोर्ट
4. R.R.T. 2008 (1) 237 राजस्थान
5. R.R.T. 2015 (1) 06 राजस्थान
6. D.N.J. 2016 (1) 644 सुप्रीम कोर्ट
7. R.R.T. 2006 (1) 226 राजस्थान
8. R.R.T. 2006 (1) 1329 राजस्थान

न्यायालय सहायक कलक्टर शाहपुरा (जिला-जयपुर) राज.

सहायक कलक्टर
शाहपुरा (जिला-जयपुर) राज.

Scanned with CamScanner

अप्रार्थीगण/वादीगण द्वारा दौराने बहस अपनी जबाव प्रार्थनापत्र के तथ्यों को दोहराते हुए व बाबत इन्द्राज खातेदारी घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा का वाद न्यायालय श्रीमान द्वारा सुनवाई का क्षेत्राधिकार होने व प्रार्थना पत्र में उठाई गई आपत्ति जबाव द्वारा ली जाकर व उभयपक्षों को साक्ष्य व सुनवाई का अवसर दिया जाकर व उठाई गई आपत्ति विधि व तथ्यों का मिश्रित प्रश्न होने के आधार पर आदेश 7 नियम 11 सीपीसी परिधि में नहीं आने की पुनः निवेदन किया उन्होंने अपने तर्कों के संबंध में निम्न न्यायिक दृष्टान्त पेश किये–

1. DNJ (Rev.) P 188 सन 2016
2. RBJ (26) P 518 सन 2019
3. RBJ (26) P 392 सन 2019
4. RBJ (26) P 356 सन 2019
5. RBJ (26) P 388 सन 2019
6. RBJ (25) P 448 सन 2018
7. RBJ (25) P 250 सन 2018
8. RBJ (25) P 78 सन 2018
9. RBJ (27) P 694 सन 2020
10. RBJ (27) P 290 सन 2020
11. RBJ (27) P 68 सन 2020
12. DNJ (Rev.) P 340 सन 2014

मैने उभयपक्षों के तर्कों पर मनन किया व प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त व पत्रावली वाद पत्रों के कथनों व उभयपक्षों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया वाद पत्र के अवलोकन से यह तथ्य स्पष्ट रूप से उभरकर सामने आता है कि वादपत्र मात्र हाल खसरा नम्बर 1390 रकबा 1.25 है0 के संबंध में प्रस्तुत किया गया है व वादपत्र से यह भी स्पष्ट रूप से जाहिर होतो है कि खसरा नं. 1390 के साबिक खसरा नम्बरान् को शामिल करते हुए वादीगण के पिता व पति नाथूसिंह के हिस्से में 1/5 हिस्से की भूमि बच रही थी उक्त 1/5 हिस्से की भूमि को भी नाथूसिंह द्वारा सन् 2007 में प्रतिवादी स. 1 लगा. 3 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रयपत्रों द्वारा बेचान किया जा चुका था जिनका अमल दरामद प्रतिवादी सं. 1 लगा. 3 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज हो चुका है। वर्तमान में वादीगण के नाम आराजी के किसी अंश की खातेदारी दर्ज नही है व प्रतिवादीगण के पक्ष में हुए विक्रयपत्रों को सक्षम सिविल न्यायालय द्वारा विधि सम्मत माना गया है। प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण 1 लगा. 3 द्वारा दौराने बहस यह कथन किया गया था कि प्रस्तुत वाद प्रतिवादी स. 6 व 7 द्वारा वादीगण को मात्र मोहरा बनाते हुए ख.नं. 1390 के संबंध में प्रस्तुत कराया व प्रतिवादी सं. 6 व 7 द्वारा खसरा नं. 1390 को हड़प करने के उद्देश्य से अलग अलग पक्षकार मुकदमा बनाते हुए व फर्जी विक्रय इकरारनामा तैयार कर विभिन्न न्यायालय में मुकदमे बाजी शुरू कर रखी है वादपत्र के अवलोकन से प्रतिवादी सं. 1 लगा. 3 के उक्त तथ्यों की पुष्टि होती है कि प्रतिवादी सं. 6 प्रतिवादी सं. 1 लगा. 3 को हैरान व परेशान करने की गरज से तुच्छ व मामूली कारणों के कारण प्रस्तुत वाद पेश किये जाने के तथ्यों की पुष्टि होती है ऐसे वादों की बहुलता को किसी प्रकरण पर समाप्त किया जाना उचित पाया जाता है ।

ऐसी स्थिति में प्रसंगगत ख.नं. 1390 वाके ग्राम करीरी तहसील शाहपुरा के संबंध में पक्षकारों के मध्य कोई न्याय निर्णय किया जाना शेष नही रहा।

अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार प्रार्थना पत्र प्रार्थी प्रतिवादी सं. 1 लगा. 3 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सहपठित धारा 151 सीपीसी स्वीकार किया जाकर वादपत्र विधि द्वारा वर्जित होने व पोषनीय नहीं होने के कारण अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। हर्जा ,खर्चा पक्षकार अपना अपना वहन करें। पर्चा डिक्री पृथक से तैयार किया जावे।

निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 11-8-2021 को सरै इजलास सुनाया गया । पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(मनमोहन)
उप जिला मजिस्ट्रेट एवं सहायक कलक्टर
शाहपुरा जिला जयपुर

सहायक कलक्टर
शाहपुरा (जिला-जयपुर) राज.

Scanned with CamScanner

प्रपत्र – 6

मूल वाद में डिक्री

(आदेश 7 नियम 11 सहपठित 151 सीपीसी)

न्यायालय उप जिला मजिस्ट्रेट पदेन सहायक कलक्टर शाहपुरा जिला जयपुर

वाद पत्र संख्या :– 01/2018 पुनः दर्ज 140/2019

उनवान

जितेन्द्र सिंह पुत्र स्व. नाथूसिंह जाति राजपूत निवासी करीरी तह0 शाहपुरा जिला जयपुर।
कुन्दन कंवर पत्नि स्व. नाथूसिंह जाति राजपूत निवासी करीरी तह0 शाहपुरा जिला जयपुर।

वादीगण

बनाम

सावतसिंह पुत्र सोहनसिंह
मनोहरसिंह पुत्र मांगूसिंह
रणवीरसिंह पुत्र गोविन्दसिंह
सुप्यार कंवर बेवा महावीरसिंह
महिपाल सिंह पुत्र महावीरसिंह
सांवतसिंह पुत्र छत्तुसिंह
वीर विक्रमादित्य सिंह पुत्र छत्तुसिंह
समस्त जाति राजपूत निवासी ग्राम करीरी तहसील शाहपुरा जिला जयपुर
राजस्थान सरकार जरिये जिला कलक्टर जयपुर, जिला जयपुर।
तहसीलदार शाहपुरा तहसील शाहपुरा जिला जयपुर।
उप पंजीयक/नायब तहसीलदार उपतहसील अमरसर तह. शाहपुरा जिला जयपुर

प्रतिवादीगण

1 कृष्णा कंवर पुत्री स्व. नाथूसिंह पत्नि शम्भूसिंह, जाति राजपूत नि. कालवा बड़ाबास, मकराना, नागौर
2 रिंकी उर्फ सजना पुत्री स्व.नाथूसिंह पत्नि हिम्मतसिंह जाति राजपूत नि कालवा बड़ाबास,मकराना, नागौर
3 मंजू कंवर पुत्री स्व. नाथूसिंह पत्नि राजेन्द्रसिंह, जाति राजपूत नि. कालवा बड़ाबास, मकराना, नागौर

तरतीबीप्रतिवादीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 सीपीसी

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी प्रतिवादी सं. 1 लगा. 3 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सहपठित धारा 151 सीपीसी स्वीकार किया जाकर वादपत्र विधि द्वारा वर्जित होने व पोषनीय नहीं होने के कारण अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। हर्जा ,खर्चा पक्षकार अपना अपना वहन करें।

निर्णय आज तारीख 11.8.2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा लगाकर जारी की गई ।

न्यायालय सहायक कलक्टर शाहपुरा (जिला-जयपुर) राज.

(मनमोहन मीना)
उप जिला मजिस्ट्रेट पदेन सहायक कलक्टर
शाहपुरा जिला जयपुर

द के खर्चे

वादी	रुपया	प्रतिवादी	रुपया
वाद पत्र के लिए स्टाम्प शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प प्रदर्शों के लिए स्टाम्प ____ रुपये पर प्लीडर की फीस साक्षियों के लिए निर्वाह – व्यय कमिश्नर की फीस आदेशिका की तामील		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प अर्जी के लिए स्टाम्प प्लीडर की फीस साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय आदेशिका की तामील कमिश्नर की फीस	
जोड़		जोड़	

Scanned with CamScanner